न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 50/2025

वादीया :-

1. आसकी पत्नी भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी गौण की ढाणीयां पीथावास तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री पदमाराम चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 07/1/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी उपरोक्त पते की मूल निवासी है तथा भारतीय नागरिक है। ग्राम पिचियाक, पटवार हल्का पिचियाक, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 22.2556 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 3 पर वादी के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी का 40/917 वां हिस्सा निहित व दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के नाम म्यूटेशन भरते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वादी के सरकारी दस्तावेजों की जाँच किये बिना ही वादी को घर पर बोले जाने वाला नाम आसी दर्ज कर दिया। जबकि वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, भारतीय स्टेट बैंक की बैंक डायरी, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधारकार्ड, वगैरा में वादी का सही नाम आसकी दर्ज है। वादी जब वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना गलत नाम आसी के स्थान पर सही नाम आसकी दर्ज करवाने हेतु दिनांक 09.01.2025 को प्रतिवादी के पास गयी तथा अपने समस्त सरकारी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड की नकल प्रतिवादी को दिखाई तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना गलत नाम आसी के स्थान पर आसकी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी को यह कहते हुए शुद्धि करने से मना कर दिया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में आसी दर्ज है, जो म्यूटेशन के जरिये दर्ज हुआ है, इसलिए प्रतिवादी उक्त अशुद्ध नाम को शुद्ध नहीं कर सकता है तथा कहा कि आपके अन्य सरकारी दस्तावेज में आपका नाम आसकी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती माननीय न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी को वादकारण दिनांक 09.01.2025 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम आसी के स्थान पर वादी का सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम आसकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया, जिस पर वादकारण बमुकाम् ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित होने से तथा उपरोक्त वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरुस्ती का होने से उपरोक्त वाद को सुनकर निस्तारण करने का न्यायालय श्री को पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। जिन्हें 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने का कोई औचित्य नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सहखातेदारान को प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है, क्योकि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से न तो अन्य दर्ज सहखातेदारान के हिस्से प्रभावित होगे तथा न ही वादीया द्वारा चाहे गये अनुतोष से अन्य दर्ज सहखातेदारान पर किसी प्रकार का प्रतिकुल असर पड़ेगा।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 22.2556 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम आसी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम आसक पत्नी भंवरलाल की घोषित की जाकर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे। अनुतोष जो वादी पाने के अधिकारी हो वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक की जमाबंदी संवत 2065-2068 के अनुसार खसरा नंबर 56 में वादिया का नाम आछी देवी पत्नी भंवरलाल दर्ज रिकार्ड है। तथा नामान्तरकरण सं. 2052 जरिये बेचान वादिया का नाम आछी देवी पत्नी भंवरलाल दर्ज रिकार्ड हुआ। हल्का पटवारी पिचियाक की रिपोर्ट अनुसार जनआधार, पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादिया का नाम आसकी पत्नी भंवरलाल दर्ज है। वादिया का नाम आछी से आसकी किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वादी साक्ष्य बंद की जाती है। 25

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधारकार्ड, प्रदर्श 2 एसबीबीजे बैंक की पासबुक, प्रदर्श 3 पैनकार्ड, प्रदर्श 4 जनआधार कार्ड , प्रदर्श 5 पहचान पत्र की प्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीया के सरकारी दस्तावेजात में वादीया का नाम आसकी पत्नी भंवरलाल दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम आसी पत्नी भंवरलाल के नाम से दर्ज है। वादीया अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीया के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम आसकी पत्नी भंवरलाल की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने आसकी पत्नी भंवरलाल किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक के खसरा नंबर 56 रकबा 22.2556 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में आसी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर आसकी पत्नी भंवरलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/1/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीया :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
आसकी **सरकार**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- **50/2025**

<u>निर्णय</u> **दिनांक :-** 04/12/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक के खसरा नंबर 56 रकबा 22.2556 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में आसी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर आसकी पत्नी भंवरलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते